**प्रेस नोट**
**अपराध गोष्ठी**
**दिनांक 15.12.2025**

**पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-**

**अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों व जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश -**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को जनपद में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत तैयारियाँ शुरू करने व सभी बूथों के भौतिक सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु बताया गया। आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सभी पुलिसकर्मी अपने बीट क्षेत्र के रजिस्टर-8 का अवलोकन कर बीट क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि जैसे - अवैध शराब निष्कर्षण, हिस्ट्रीशीटर/दुराचारी की चेकिंग व अन्य आपराधिक गतिविधियों की निगरानी कर लगातार बीट सूचना अंकित कराएं। चुनाव के मद्देननजर संभावित प्रत्याशी की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखें। तत्पश्चात महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी में विवेचना निस्तारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानावार विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा थानें पर रहकर जनसुनवाई कर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए साथ ही नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने हेतु निर्देश दिए गए। पीआरवी वाहनों की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु बताया गया। तथा आगामी नव वर्ष के दौरान संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों तथा धर्मशालाओं आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, और समाज में महिलाओं के प्रति अपराध रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरतने के साथ महिला पुलिस बीट द्वारा महिला सम्बन्धी प्रकरणों में पीड़ित परिवार से मिलकर उनका फीडबैक लेना सुनिश्चित करेंगी। महोदय द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महिला सुरक्षा अभियान की समीक्षा करेंगे तथा एण्टी-रोमियो एवं मिशन शक्ति टीम के साथ स्कूलों/कालेजों में जाकर महिला

सशक्तिकरण के प्रति जागरुक करना सुनिश्चित करेंगे। महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ करने हेतु निर्देशित किया गया । सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। **गोण्डा पुलिस द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2025 से अब तक जनपद गोण्डा में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 23 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 120 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 54 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। गैंगस्टर एक्ट के 04 प्रकरणों में अपराध से अर्जित ₹1,23,51,800/- की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त 230 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है तथा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 11 सक्रिय गिरोहों के विरुद्ध गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गई है।**

**इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक प्रज्ञान, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।**

**मीडिया सेल, गोण्डा।**